

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी- मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

वाद संख्या:- 123/2018

-: अनवान :-

1. रायसिंह पुत्र लुनाराम (मृतक):-
    - 1/1. भागवन्ती पत्नी स्व. रायसिंह
    - 1/2. कृष्णादेवी पुत्री स्व. रायसिंह
    - 1/3. विपिनचन्द्र पुत्र स्व. रायसिंह
  2. सहदेव
  3. भूपराम
  4. कृपाराम
- जाति जाट निवासी छांपवाली  
हाल आबाद ग्राम कुलार तहसील  
अबोहर जिला फाजिल्का।
- पुत्रगण लुनाराम जाति जाट निवासी छांपवाली  
हाल आबाद ग्राम कुलार तहसील अबोहर जिला  
फाजिल्का पंजाब।

.....वादीगण

बनाम



1. शिशपाल पुत्र लुनाराम जाति जाट निवासी चक 40 एन.डी.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान(मृतक)जरिये वारिसान:-
    - 1/1. गिरदावरी पत्नी शिशपाल
    - 1/2. जीतराम पुत्र शिशपाल
    - 1/3. पुष्पा पुत्री शिशपाल
    - 1/4. सोमा पुत्री शिशपाल
    - 1/5. बिरमा पुत्री शिशपाल
    - 1/6. कौशल्या पुत्री शिशपाल
  2. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।
  3. उप-पंजीयक सूरतगढ़।
- अकवाम जाट निवासी 40 N.D.R.  
तहसील पीलीबंगा जिला  
हनुमानगढ़ राजस्थान।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188, 207 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:-

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, विनोद कुमार, अधिवक्ता वादीगण
2. प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/6 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
3. पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

- :: निर्णय ::-

दिनांक:- 05.03.2020

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार सूरतगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। वादी संख्या 1 के स्वर्गवास हो जाने पर उनके वारिसान को बतौर वादी संख्या 1/1 ता 1/3 पक्षकार बनाये गये। प्रतिवादी संख्या 1 शिशपाल के स्वर्गवास हो जाने पर उनके वारिसान को बतौर प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/6 पक्षकार बनाकर जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब के बाद हाजिर नहीं

क्रमशः 2 पर .....

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़

आने पर उनके विरुद्ध दिनांक 20.08.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के खाता विभाजन करने पर अपनी सहमती प्रदान की। चूंकि प्रतिवादीगण बावजूद तामील हाजिर नहीं आये हैं तथा वादीगण ने अपनी सहमती देकर विभाजन प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन करने का अनुरोध किया है। पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन किया जाना उचित समझता हूँ। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है :-



### वादीगण की भूमि:-

तहसील सूरतगढ़ की रोही देईदासपुरा के खसरा नम्बर 197 में 12.6460 हैक्टेयर बारानी दायम खातेदारी में से 4/5 हिस्सा यानि 10.1168 हैक्टेयर बारानी दायम भूमि खातेदारी का खाता विभाजन खसरा नम्बर 197 में उतरी दिशा में विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा अनुसार प्रतिवादीगण से किया जाता है।

(जिसमें वादीगण संख्या 1/1 भागवन्ती पत्नी स्व.रायसिंह, 1/2 कृष्णा देवी पुत्री स्व.रायसिंह, 1/3 विपिनचन्द्र पुत्र स्व. रायसिंह का 1/4 हिस्सा में ब.हि.ब. तथा वादीगण संख्या 2 सहदेव, 3 भूपराम, 4 कृपाराम पुत्रगण लुनाराम का 3/4 हिस्सा में ब.हि.ब.दर्ज किया जावे।)

### प्रतिवादीगण की भूमि :-

तहसील सूरतगढ़ की रोही देईदासपुरा के खसरा नम्बर 197 में 12.6460 हैक्टेयर बारानी दायम खातेदारी में से 1/5 हिस्सा यानि 2.5292 हैक्टेयर बारानी दायम खसरा नम्बर 197 में दक्षिणी दिशा में विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा अनुसार वादीगण से खाता अलग किया जाता है।

उक्त अनुसार खाता विभाजन किया जाता है। रकम राज अलग-अलग कायम की जावे। भूमि अगर रहन है तो जिस पक्षकार का ऋण लिया हुआ है उसके खाते में रहन का नोट लगाया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे। परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2020 को सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़।

(आदेश 21 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

-:: परचा डिक्री ::-

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास - मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस. )

-: अनवान :-

1. रायसिंह पुत्र लुनाराम (मृतक):-
    - 1/1. भागवन्ती पत्नी स्व. रायसिंह
    - 1/2. कृष्णादेवी पुत्री स्व. रायसिंह
    - 1/3. विपिनचन्द्र पुत्र स्व. रायसिंह
  2. सहदेव
  3. भूपराम
  4. कृपाराम
- जाति जाट निवासी छांपवाली  
हाल आबाद ग्राम कुलार तहसील  
अबोहर जिला फाजिल्का।
- पुत्रगण लुनाराम जाति जाट निवासी छांपवाली  
हाल आबाद ग्राम कुलार तहसील अबोहर जिला  
फाजिल्का पंजाब।

.....वादीगण

बनाम

1. शिशपाल पुत्र लुनाराम जाति जाट निवासी चक 40 एन.डी.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान(मृतक)जरिये वारिसान:-
    - 1/1. गिरदावरी पत्नी शिशपाल
    - 1/2. जीतराम पुत्र शिशपाल
    - 1/3. पुष्पा पुत्री शिशपाल
    - 1/4. सोमा पुत्री शिशपाल
    - 1/5. बिरमा पुत्री शिशपाल
    - 1/6. कौशल्या पुत्री शिशपाल
  2. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।
  3. उप-पंजीयक सूरतगढ़।
- अकवाम जाट निवासी 40 N.D.R.  
तहसील पीलीबंगा जिला  
हनुमानगढ़ राजस्थान।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188, 207 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 123 वर्ष 2018 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री भागीरथ बिश्नोई व श्री विनोद कुमार तथा राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :-

वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है :-

वादीगण की भूमि:-

तहसील सूरतगढ़ की रोही देईदासपुरा के खसरा नम्बर 197 में 12.6460 हैक्टेयर बारानी दायम खातेदारी में से 4/5 हिस्सा यानि 10.1168 हैक्टेयर बारानी दायम भूमि खातेदारी का खाता विभाजन खसरा नम्बर 197 में उत्तरी दिशा में विभाजन प्रस्ताव के सलंगन नक्शा अनुसार प्रतिवादीगण से किया जाता है।

(जिसमें वादीगण संख्या 1/1 भागवन्ती पत्नी स्व.रायसिंह, 1/2 कृष्णा देवी पुत्री स्व.रायसिंह, 1/3 विपिनचन्द्र पुत्र स्व. रायसिंह का 1/4 हिस्सा में ब.हि.ब. तथा वादीगण संख्या 2 सहदेव, 3 भूपराम, 4 कृपाराम पुत्रगण लुनाराम का 3/4 हिस्सा में ब.हि.ब.दर्ज किया जावे।)

  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़

प्रतिवादीगण की भूमि :-

तहसील सूरतगढ़ की रोही देईदासपुरा के खसरा नम्बर 197 में 12.6460 हैक्टेयर बारानी दायम खातेदारी में से 1/5 हिस्सा यानि 2.5292 हैक्टेयर बारानी दायम खसरा नम्बर 197 में दक्षिणी दिशा में विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा अनुसार वादीगण से खाता अलग किया जाता है।

उक्त अनुसार खाता विभाजन किया जाता है। रकम राज अलग-अलग कायम की जावे। भूमि अगर रहन है तो जिस पक्षकार का ऋण लिया हुआ है उसके खाते में रहन का नोट लगाया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

नोज..... × ..... मुबलिंग.....× ..... बाबत.....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ..... × ..... फसदो की पालना ..... ×..... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 05.03.2020 को जारी की गई।



(मनोज कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़

